न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 27/2020 जिला दौसा

1. कैलाश
2. मानसिंह
3. रमेश
4. रेवडराम
5. राजाराम पुत्र श्री बद्रीप्रसाद,
6. शंकर पुत्र गंगासहाय

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिकराय, तह. सिकराय, जिला दौसा।

—अपीलान्टस

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

द्वितीय अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सिकराय, दिनांक 07.09.2006 प्रकरण 291/06 एवं प्रथम अपील उनवानी कैलाश वगै. बनाम सरकार दिनांक 06.06.2014 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री मिठनलाल गुर्जर
2. रेस्पों. नं. 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —23.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 06.06.2014 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.12.2014 को प्रस्तुत हुई है। । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी की अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थिंत चरागाह भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 10 बीघा, 1993/2 रकबा 55 बीधा में से 45 बीधा चरागाह जो वन विभाग को वन हेतु आवंटित दर्शाते हुए फसल खरीफ में अतिचार करना बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा निर्णय दिनांक 07.09.2006 द्वारा पारित करते हुये 1956 की भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमियों को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 07.09.2006 को बेदखल कर 50 गुणा पेलन्टी मय बेदखली एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी करार देते हुये निर्णय की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 28.09.2006 को नियत की गई है। दिनांक 28.09.2006 को पश्चातवर्ती अतिचार करार देते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध भी सजा का आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.09.2006 व 28.09.2006 की आदेशिका के निर्णय की प्रतिलिपि चाहे जाने पर भी नही दी जा रही है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार द्वारा बिना निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा के निर्णय के विरूद्ध अपील शपथ पत्र के साथ सुनवाई हेतु यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2014 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा दिनांक 07.09.2006 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 06.06.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 06.06.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा फसल खरीफ संवत् 2063 में आराजी 36 बीघा पर बाजरा, मक्का, तिल, ग्वार बोकर अतीचार करना बताकर वन विभाग की भूमि बता रखा है। वन विभाग को आवंटित व अधिग्रहित भूमि पर नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं रह जाता है। वन विभाग के प्रकरणों की सुनवाई वन अधिकारियों द्वारा किया जाना अधिकार क्षेत्र में अध्याशित है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय जान बूझकर अपीलान्ट के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही अमल में ला रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में धारा 91 रा.भू.रा. अधि. 1956 की उपधारा 1 व 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अपीलान्ट के विरूद्ध बिना कोई सुनवाई किए एक तरफा में बेजा कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। न्यायालय द्वारा भूमि की किस्म विसंगतीपूर्ण बताई जा रही है। एक तरफ चरागाह भूमि बताई जा रही है एक तरफ वन विभाग की भूमि बताई जा रही है। वन विभाग के सक्षम अधिकारी कर्मचारी द्वारा कतई कोई अतिचार की रिपोर्ट नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मंत्री के समक्ष दिनांक 07.10.06 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर राजस्व मंत्री द्वारा अपने कमांक 2141 दिनांक 07.10.2005 एवं पूर्व आदेश प्रकरण संख्या पी–1(208) उपशासन सचिव/राजस्व ग्रपु–3/2000 के तहत स्टे फरमाया गया एवं तहसीलदार सिकराय व जिला कलक्टर से अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व इस प्रकरण की वास्तविक रिपोर्ट भिजवाए जाने का आदेश फरमा रखा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2014 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी की अपीलान्ट अतिकमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 145 रकबा 10 बीघा, 1993/2 रकबा 55 बीघा में से 45 बीघा चरागाह जो वन विभाग को वन हेतु आवंटित दर्शाते हुए फसल खरीफ में अतिचार करना बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिकमियों को अतिकमित आराजी से दिनांक 07.09.2006 को बेदखल कर 50 गुणा पेलन्टी मय बेदखली एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी करार देते हुऐ निर्णय की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 28.09.2006 को नियत की गई है। दिनांक 28.09.2006 को पश्चातवर्ती अतिचार करार देते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध भी सजा का आदेश पारित किया जा सकता है। उनका कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को सुनवाई सबूत का अवसर दिया जाकर प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन चल रही थी । अपीलान्ट के विरूद्ध भारी सजा का आदेश पारित किये जाने के की आशंका से डरकर यह अपील अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय आदेशिका दिनांक 07.09.2006 व 28.09.2006 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। जब अपीलान्ट्स के विरूद्ध कोई आदेश पारित ही नही हुआ है तो अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश करने का कोई औचित्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

Scanned by CamScanner

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को सुनवाई सबूत का अवसर दिया जाकर प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन चल रही थी। अपीलान्ट के विरूद्ध भारी सजा का आदेश पारित किये जाने की आशंका से डरकर यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 06.06.2014 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। जब अपीलान्ट्स के विरूद्ध कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ है तो अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश करने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2014 पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 06.06.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner